I/204740/2022

उत्तर प्रदेश शासन

प्राविधिक शिक्षा अनुभाग-1

संख्या- 204740 /16-1099/1124/2019

लखनऊः दिनांकः 25 अगस्त,2022

कार्यालय-आदेश

उत्तर प्रदेश निजी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्था (प्रवेश का विनियमन और फीस का नियतन) अधिनियम,2006 की धारा-4 के अन्तर्गत प्रख्यापित उत्तर प्रदेश निजी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्था (प्रवेश का विनियमन और फीस का नियतन) (समिति का गठन) नियमावली, 2008 की धारा-3(1) के अनुसार शासन के कार्यालय-आदेश संख्या-2463/2008-सोलह-1-5(W-48)/2003 दिनांक 27.06.2008 द्वारा निजी क्षेत्र की अभियन्त्रण/व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के फीस निर्धारण हेतु प्रवेश और फीस नियमन समिति का गठन किया गया है।

2. अधिनियम-2006 की धारा-14 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके अधिसूचना संख्या-4781/सोलह-1-14(34)-2014 दिनांक 22.12.2015 द्वारा उत्तर प्रदेश निजी प्राविधिक शैक्षणिक संस्था (प्रवेश का विनियमन और फीस का नियतन) विनियमावली, 2015 निर्गत की गयी है। उक्त विनियमावली में दी गई व्यवस्थानुसार निजी क्षेत्र की डिग्री/डिप्लोमा स्तरीय अभियन्त्रण संस्थाओं में संचालित पाठ्यक्रमों हेतु मानक शुल्क एवं मानक शुल्क से इतर शुल्क निर्धारण किये जाने का प्राविधान है।

3. संस्थानों द्वारा प्रायः जमानत/काशनमनी की धनराशि छात्रों से मनमाने दर से वसूल की जाती है व उसे समय से वापस नही किया जाता है, जिससे छात्रों में अत्यधिक रोष व्याप्त रहता है। इस सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश विधान परिषद् की ''शिक्षा का व्यवसायीकरण सम्बन्धी जाँच समिति'' द्वारा दिये गये निर्देशों एवं शिक्षा के व्यवसायीकरण के रोकथाम के परिप्रेक्ष्य में शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त निजी क्षेत्र की डिग्री/डिप्लोमा स्तरीय अभियंत्रण संस्थाओं द्वारा नव-प्रवेशित छात्रों से जमानत/काशनमनी की धनराशि लिये जाने के संबंध में निम्नवत् निर्देश निर्गत किये जाते हैं-

(1)- एकरूपता की दृष्टि से निजी क्षेत्र की डिग्री स्तरीय अभियंत्रण संस्थाओं द्वारा अधिकतम रू0 5,000.00 एवं डिप्लोमा स्तरीय अभियंत्रण संस्थाओं द्वारा अधिकतम रू0 3,000.00 प्रति छात्र लिया जायेगा।

(2)- पाठ्यक्रम को पूर्ण करने के उपरान्त छात्रों द्वारा संस्थान से नो ड्यूज प्रमाण-पत्र प्राप्त करने की तिथि के पश्चात छात्रों को जमानत/काशनमनी की धनराशि दो माह के अन्दर वापस किया जाना अनिवार्य होगा। यदि संस्थान द्वारा छात्र को नो ड्यूज प्रमाण-पत्र निर्गत करने की तिथि के पश्चात निर्धारित समयावधि (दो माह) तक

जमानत/ काशनमनी की धनराशि वापस नहीं की जाती है तो संस्थान के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी:-

(i)- यदि छात्रों पर किसी प्रकार की देनदारी/देयक यथा-पुस्तकालय की पुस्तक/प्रयोगशाला में किसी प्रकार की टूट-फूट इत्यादि होती है तो उस देनदारी को काशनमनी की धनराशि से समायोजित कर शेष धनराशि छात्रों को दो माह के अन्दर वापस करना अनिवार्य होगा।

(ii)- यदि संस्थान द्वारा निर्धारित समयावधि दो माह के पश्चात एवं चार माह के अन्दर जमानत/काशनमनी की धनराशि छात्र को वापस की जाती है तो संस्थान को जमानत/काशनमनी की धनराशि का दो गुना छात्रों को वापस करना होगा।

(iii)- यदि संस्थान द्वारा चार माह के पश्चात एवं छः माह के अन्दर जमानत/ काशनमनी की धनराशि छात्र को वापस की जाती है तो संस्थान को जमानत/ काशनमनी की धनराशि का तीन गुना छात्रों को वापस करना होगा।

(iv)- यदि संस्थान द्वारा छः माह के पश्चात जमानत/काशनमनी की धनराशि छात्र को वापस की जाती है तो संस्थान को जमानत/काशनमनी की धनराशि का चार गुना छात्रों को वापस करना होगा।

(v)- यदि संस्थान द्वारा उपरोक्त उल्लिखित बिन्दुओं में दर्शाये गये नियमों का पालन नहीं किया जाता है, तो संस्थान के विरूद्ध सक्षम स्तर से नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

(3) समस्त निजी क्षेत्र की डिग्री/डिप्लोमा स्तरीय अभियन्त्रण संस्थाओं को जमानत/ काशनमनी की धनराशि छात्रों को वापस किये जाने के सम्बन्ध में प्रमाण-पत्र यू0 राईज पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य होगा तथा उक्त के अभिलेखीय साक्ष्य डिग्री स्तरीय अभियन्त्रण संस्थान डा0 ए0 पी0 जे0 अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय, लखनऊ एवं डिप्लोमा स्तरीय अभियन्त्रण संस्थान प्राविधिक शिक्षा परिषद्, लखनऊ को उपलब्ध करायेंगे।

(सुभाष चन्द शर्मा)
प्रमुख सचिव

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

I/204740/2022

1. कुलसचिव, डा0 ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय, लखनऊ।
2. निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उ0प्र0, कानपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख सचिव/विशेष सचिव, प्राविधिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश शासन।
4. प्रमुख सचिव/सचिव, समाज कल्याण विभाग, पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन ।
5. सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी।
6. सचिव, प्रवेश और फीस नियमन समिति, बासमण्डी चौराहा, चारबाग, लखनऊ एवं सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद्, लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वे अपने स्तर से सम्बन्धित संस्थानों को अवगत करायें।
7. प्राविधिक शिक्षा, अनुभाग-2 व 3, उत्तर प्रदेश शासन।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

Signed by सुभाष चंद्र शर्मा
(सुभाष चन्द्र शर्मा)
Date: 23-08-2022 19:58:39
प्रमुख सचिव
Reason: Approved

प्रवेश और फीस नियमन समिति, बाँसमण्डी चौराहा चारबाग, लखनऊ।

पृ0स0 2991-92 प्रफीनिस/काशनमनी/2022 दिनांक 29 अगस्त,2022

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, प्राविधिक शिक्षा एवं व्यावसायिक शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन/अध्यक्ष, प्रवेश और फीस नियमन समिति, उ0प्र0 शासन, महोदय के अवलोकनार्थ।
2. समस्त निजी क्षेत्र की डिग्री/डिप्लोमा स्तरीय अभियन्त्रण संस्थाएं।

@heerch
(राजेश चन्द्रा)
सचिव

D/umesh data 2020-21/Go